कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com **Phone/ Fax: 0135-2767611**

संख्याः– 167 / **FP/UK/WATER/42511/2019** देहरादूनः दिनांकः 16 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित 2.323 हे0 वन भूमि एवं नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण, देहरादून को प्रत्यार्वन प्रस्ताव।

(Online File No-FP/UK/WATER/42511/2019)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 12–06–2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 12–06–2020** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्नं	उत्तर
1	It is seen that the CA site suitability certificate and muck disposal plan not found uploaded. State Govt may uploaded these documents as additional documents in Form A, Part I.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथा संशोधित करते हुए आनलाईन भाग ।। के additional information में अपलोड किया गया है। मलवा निस्तारण प्लान के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लेख किया है कि उक्त परियोजना पेयजल योजना की होने के कारण पाईप लाईन हेतु ट्रैन्च खुदान कर लाईन बिछाने के उपरान्त पुनः उत्पादित मलवे से भरान किया जाना है तथा अन्य निर्माण कार्यो का उत्पादित मलवा सुरक्षात्मक दीवालों में भरान में निस्तारित किया जायेगा। अतः विस्तृत मलवा निस्तारण प्लान की आवश्यकता नही है। संगत दस्तावेज को फॉर्म ए के पार्ट । के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
2	Aerial distance is mentioned as 1700 m from Musoorie wildlife Sanctuary. State Govt may submit the comments of CWLW in this regard.	DFO has been mention that the Aerial distance is mentioned as 17.00 mtr from Mussoorie wildlife Sanctuary. Regarding this CWLW recommendation has been uploaded in Form A, part II as additional Information.
3	Hard copy of the proposal has not been submitted yet. State Govt may submit the hard copy of the proposal conatining original documents.	Original hard copy of the proposal submitted

4	Name of CA sites is mentioned as Khairgad Civil & Soyam as well as RF land instead of Goankhet Civil & Soyam in the CA estimate upload in additional information in Form A,part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वृक्षारोपण योजना में चयनित ग्राम स्थल का नाम संशोधित करते हुए आनलाईन भाग।। में यथास्थान अपलोड किया गया है।
5	In para 4 (ii) density is mentioned as 0.4 which does not appear to be correct. Moreover density is mentioned as 0.3 in the NPV calculation sheet uploaded in part I & Part II. State Govt may clarify this discrepancy in information .	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित भूमि का घनत्व को संशोधित कर अपलोड किया गया है।
6	It is seen form the data given in para 14 of online part II. i.e. District profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted and progress of CA is very poor. Logically, The CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity. If any, is required to be clarified suitably.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि online part II के District profile details में दर्ज प्रत्यावर्तित 266.7834 हे0 वन भूमि को दुगने अवन्त/सिविल भूमि में प्रस्तावित 421.578 हे0 का सापेक्ष 317.630 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–देहरादून के अन्तर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण के अधिकांश प्रकरणों में प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.00 हे0 से कम होने के कारण भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृतियों में प्रत्यावर्तित वन भूमि के दुगने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया जाता है।

संलग्न–यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/7/20

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी